भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फ. सं 6/41/2024- डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग (व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक: 30 सितंबर, 2024

जाँच शुरुआत अधिसूचना

मामला सं. एडी (ओआई) -38/2024

विषय: चीन जन.गण. में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फ. सं 6/41/2024-डीजीटीआर – समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित किए गए वस्तुओ पर शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रह तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे "एडी नियम, 1995" भी कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स इंद्रायणी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा जाएगा) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा जाएगा) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे "विषयगत देश" कहा जाएगा) में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए "ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज" (जिसे आगे "विषयगत वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा जाएगा) की पाटन का आरोप लगाकर पाटन रोधी जांच शुरू करने की मांग की गई है।

क. विचाराधीन उत्पाद

2. विचाराधीन उत्पाद "ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज" है (जिसे इसके बाद "विषयगत सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा जाएगा)। निम्नलिखित प्रकार के कार्ट्रिज जांच के दायरे में शामिल नहीं हैं:

    क. कलर लेजर टोनर कार्ट्रिज
    ख. एमआईसीआर टोनर कार्ट्रिज (चेक में छपाई के लिए प्रयुक्त विशेषीकृत टोनर)
    ग. इंकजेट लिक्विड टोनर कार्ट्रिज
    घ. ब्लैक टोनर कार्ट्रिज मुद्रण उपकरण के मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए आयात किया गया

3. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुद्रण के लिए किया जाता है। विषय वस्तुओं को एचएस कोड के तहत वर्गीकृत किया गया है: 84439959 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 84 के तहत। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकरण वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए विचाराधीन उत्पाद के आयात पर विचार करेगा, चाहे उसका वर्गीकरण कुछ भी हो।

ख. <u>समान वस्तु</u>

4. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबंधित देश से निर्यात की जाने वाली वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और विषय देश से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और माल के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमय के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजनों के लिए, जांच दल ने यह मानने का प्रस्ताव किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु चीन जन. गण. से आयात किए जा रहे उत्पाद के लिए लेख की तरह है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और स्थिति</u>

5. नियम 2 (बी) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"घरेलू उद्योग" से वे घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जो संपूर्ण समान वस्तु या घरेलू उत्पादक हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग होता है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, उस दशा में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

6. आवेदन मेसर्स इंद्रायणी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। भारत में एक और उत्पादक है, मेसर्स डीआईसी टेकवेयर प्राइवेट लिमिटेड जिसने न तो आवेदन का समर्थन किया है और न ही विरोध किया है। आवेदक भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनाता है।

7. आवेदक ने जांच अवधि के दौरान तथा वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदक जांच अवधि के दौरान विषयगत वस्तुओं के किसी भी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं है।

8. इसे देखते हुए, प्राधिकरण मानता है कि आवेदक नियम 5 (3) के साथ पठित पाटन रोधी नियम, 1995 के नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग का गठन करता है।

घ. <u>जांच की अवधि</u>

9. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (12 महीने) है। जांच के लिए क्षति अवधि में वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-2023 और पीओआई की अवधि शामिल होगी।

ङ. <u>विषय देश</u>

10. वर्तमान जांच का विषय देश चीन जन. गण. है।

च. पाटन मार्जिन गणना

I. सामान्य मूल्य

11. प्राधिकरण की सतत प्रथा चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानने की रही है, जब तक कि चीन जन. गण के उत्पादक यह प्रदशत न कर लें कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के अनुछेद 7 के अनुसार संबंधित वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं।

12. आवेदक ने भारत में वास्तव में भुगतान या देय मूल्य के आधार पर चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य का दावा किया है, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित। अतः सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में संबंधित वस्तुओं के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया गया है, जैसा कि उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय को समायोजित करने के बाद उपलब्ध है। इसलिए, वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्य से, सामान्य मूल्य का निर्माण उचित लाभ मार्जिन के साथ-साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित आवेदक के उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर किया गया है।

13. इसलिए, वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्य से, सामान्य मूल्य का निर्माण आवेदक के उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर किया गया है, जो बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ-साथ उचित लाभ मार्जिन के साथ विधिवत समायोजित किया गया है।

II. निर्यात मूल्य

14. आवेदकों ने डीजीसीआईएस द्वारा प्रकाशित सारांश आधार पर आयात सूचना के आधार पर सीआईएफ निर्यात मूल्य का दावा किया है क्योंकि उत्पाद का वर्गीकरण समपत है। प्राधिकरण ने सूचना की सत्यता की जांच करने के लिए डीजीसीआईएस आंकड़ों के आधार पर आयात मूल्य पर विचार किया है। समुद्र भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, प्रलेखन प्रभार, हैंडलिंग और समाशोधन प्रभार तथा ऋण लागत के कारण समायोजन फैक्टरी निर्यात मूल्य पर निर्धारित किए गए थे।

III. पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना फैक्टरी स्तर पर की गई है, जो *प्रथम दृष्टया* यह स्थापित करता है कि संबंधित देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारण लिंक का आरोप

16. आवेदक ने नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित विभिन्न अनुछेद मीटरों पर सूचना प्रस्तुत की है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया घरेलू उद्योग को नुकसान दर्शाते हैं जो चीन जनसंपर्क से कथित रूप से पाटित किए गए आयातों के कारण हुआ है।

ज. जांच की शुरुआत

17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्टि प्राप्त करने के बाद, संबंधित वस्तुओं के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और पाटित किए गए आयातों के बीच कारण लिंक, और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार, प्राधिकरण, एतद्द्वारा, संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक पाटन रोधी जांच शुरू करता है, यदि लगाया जाता है तो यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. प्रक्रिया

18. वर्तमान जांच के लिए एडी नियमों के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

19. सभी संचार नामित प्राधिकारी को ईमेल पते <dir13-dgtr@gov.in> और <ad12-dgtr@gov.in> पर ईमेल के माध्यम से <adv11-dgtr@gov.in> और <consultant-dgtr@govcontractor.in> को एक प्रति के साथ भेजा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबमिशन का कथा भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

20. संबंधित देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से विषय देश की सरकार, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को जो संबंधित वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस आरंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जाँच शुरुआत अधिसूचना, एडी नियम, 1995 और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच प्रारंभ अधिसूचना, पाटनरोधी नियम, 1995 तथा प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से, इस जांच प्रारंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुतिकरण कर सकता है।

22. प्राधिकरण के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

23. इच्छुक पार्टियों को नियमित रूप से व्यापार उपचार महानिदेशालय (https://www.dgtr.gov.in/) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि जानकारी के साथ-साथ जांच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं से अवगत और अवगत कराया जा सके।

ट. समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी नामित प्राधिकारी को ईमेल पते <dir13-dgtr@gov.in> और <ad12-dgtr@gov.in> पर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए और <adv11-dgtr@gov.in> और <consultant-dgtr@govcontractor.in> को उस तारीख से 30 दिनों के भीतर की जानी चाहिए, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण नामित प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा, या एडी नियम, 1995 के नियम 6 (4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया गया। यदि निर्धारित समय-सीमा में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकरण अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।

25. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर दाखिल करें।

26. जहां एक इच्छुक पार्टी प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगती है, उसे नियम के संदर्भ में इस तरह के विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना चाहिए 6(4) एडी नियम 1995 और इस तरह के अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आने चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना

27. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकरण के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियां देता है या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, वहां उसे एक साथ विज्ञापन निदेशक नियम, 1995 के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार नोटिस के अनुसार ऐसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

28. इस तरह की प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के चिह्नों के बिना प्राधिकरण को किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकरण द्वारा "गैर-गोपनीय" जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पार्टियों को ऐसे सबमिशन का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

29. गोपनीय संस्करण में वे सभी जानकारी शामिल होंगी जो प्रकृति से, गोपनीय और/या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। उस जानकारी के लिए जो प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

30. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण अनिवार्य रूप से गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या खाली हो गई है (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उचित और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए जिस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

31. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के पदार्थ की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने

वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और एडी नियम, 1995 के नियम 7 और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण युक्त कारणों का विवरण, इस तरह का सारांश संभव क्यों नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

32. इच्छुक पक्ष इस जाँच शुरुआत अधिसूचना के अनुछेद 24 में दर्शाए गए अनुसार प्राधिकरण के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर किसी अन्य इच्छुक पक्षकार द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

33. अर्थपूर्ण अगोपनीय संस्करण के बिना या प्राधिकृत व्यापार नियम, 1995 के नियम 7 और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के अनुसार गोपनीयता के दावे पर पर्याप्त और समुचित कारण कथन के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

34. प्राधिकरण प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध वारंट नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

35. प्राधिकरण प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने और संतुष्ट होने पर, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।

ड. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

36. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सबमिशन के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को ईमेल करें। प्रस्तुतियाँ/प्रतिक्रिया/सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पार्टी को गैर-सहयोगी माना जा सकता है।

ढ. <u>असहयोग</u>

37. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर या निर्धारित समय के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है और अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो उचित समझी जाती हैं।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी